कार्यालयः— असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—अधीक्षक, सदर अस्पताल, लातेहार।

—ः अल्पाकलीन निविदा सूचना ः—

जिला लातेहार के अंतर्गत सदर अस्पताल, लातेहार में सामान्य अंतर्वासी मरीजों एवं जे0एस0एस0के0 के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2016—17 में पथ्य (भोजन) आपूर्ति हेतु निबंधित स्वंयसेवी संस्था/कार्यकारी एजेंसी/समाजिक संस्था/स्वंयसहायता समूह/महिला मंडल/प्रतिष्ठित संस्थान जो वाणिज्य कर विभाग से निबंधित हों एवं JST/VAT/TIN का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हों से मुहरबंद लिफाफें (तकनिकी एवं मूल्य भाग) में निविदा आमंत्रित किया जाता है।

1. निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि :— **06.06.2016**
2. निविदा समर्पित करने का स्थान एवं पता :— **उपाधीक्षक का कार्यालय सदर अस्पताल, लातेहार।**
3. निविदा खुलने की तिथि :— **07.06.2016**
4. निविदा खुलने का स्थान :— **उपाधीक्षक का कार्यालय सदर अस्पताल, लातेहार।**

<u>निविदा का तकनिकी भाग में निम्नांकित अभिलेख संलग्न रहना अनिवार्य होगा।</u>

01. निविदा द्विलिफाफिय (Envelope) पद्धति (तकनिकी एवं मूल्य भाग) में अलग—अलग तैयार करते हुए दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफें में सीलबंद कर समर्पित/प्रेषित किया जायेगा
02. निविदा के तकनिकी भाग में न्यूनतम तीन निविदादाता के सफल होनें की स्थिति में ही मूल्य भाग को खोला जायेगा।
03. निविदा के तकनिकी भाग में सफल निविदादाता का ही मूल्य भाग पर विचार किया जायेगा।
04. चयनित निविदादाता को सामन्य मरीजों का भोजन आपूर्ति का भुगतान विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध होने की स्थिति में किया जा सकेगा। जे0एस0एस0के0 के लाभार्थियों के भोजन आपूर्ति के अभिश्रव का भुगतान त्रैमासिक किया जायेगा।
05. निविदादाता को 5000.00 (पांच हजार) बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन लातेहार के नाम से भुगतेय होगा, अग्रधन के रूप में निविदा के तकनिकी भाग में जमा करना होगा।
06. पथ्य आपूर्ति के क्रम में विभाग द्वारा सामान्य मरीजों एवं जे0एस0एस0के0 के लाभार्थियों को भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित मेन्यु से संबंधित विवरणी/निविदा पेपर उपाधीक्षक सदर अस्पताल लातेहार के कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 03.06.2016 तक कार्यालय अवधि में 500.00 (पांच सौ) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन लातेहार के नाम से भुगतेय होगा, समर्पित कर प्राप्त कर सकते हैं।
07. निविदादाता को अपनें निविदा के तकनिकी भाग में वाणिज्य कर विभाग से निबंधित होनें से संबधित JST/VAT/TIN का अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन आयकर जमा करनें का प्रमाण पत्र पैन कार्ड की छाया प्रति सहित संलग्न करना होगा।
08. निविदादाता को उनके प्रतिष्ठान/संस्था/स्वयं सहायता समूह को अपनें निविदा के साथ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निबंधन/अनुज्ञप्ति का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
09. निविदादाता का फर्म काली सूची में नहीं हो इसका शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होग।
10. विभाग के स्तर से सामन्य मरीजों के लिए 50.00 (पचास) रूपयें एवं जे0एस0एस0के0 के लाभार्थियों के लिए 100.00 (एक सौ) रूपये का दर निर्धारित है। निविदादाता को पथ्य/भोजन की आपूर्ति विभाग के स्तर से निर्धारित मापदण्ड/मेन्यू के अनुसार करना होगा। निविदादाता, निविदा समर्पित करनें से पूर्व तिथिवार निर्धारित मेन्यु जो निविदा पेपर के साथ संलग्न होगा, का गहन अवलोकन कर लेंगें एवं उपर्युक्त निर्धारित दर के अंतर्गत जिस निवदादाता का दर न्यूनतम होगा उसी निविदादाता को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11. कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने पर बिना सूचना के निविदा समाप्त किये जाने एवं निविदा शर्तों में संशोधन का का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
12. निविदादाता अपने पत्राचार का पता लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।
13. निविदा खुलते समय संबंधित निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
14. प्रकाशित निविदा शर्त एवं आपूर्ति की जानें वाली पथ्य (भोजन) का मेन्यू की पुर्ण विवरणी, निविदा प्रकाशित होनें के पश्चात् www.latehar.nic.in पर देखा जा सकता है।

18/5/16

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
लातेहार।

18/5/16

Paper Information

JSSK के लाभार्थियों के भोजन का विवरण।

सुबह का नाश्ता प्रति लाभार्थी	दोपहर का भोजन प्रति लाभार्थी	रात का भोजन प्रति लाभार्थी
फल– 1 पीस ब्रेड 1/2 पैकेट दूध– 1 गिलास (200Ml)	चावल 200 ग्राम दाल (मसुर एवं अरहर) 50 ग्राम हरी सब्जी,साग	रोटी, हरी सब्जी अंडा 1 पीस

Sumitha Srivastava

09/5/16

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्यचिकित्सा पदाधिकारी,
लातेहार।

9.5